महान साम्राज्ञी रानी दुर्गावती : धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण और तत्कालीन न्यायिक प्रशासनिक व्यवस्था

प्रकाश उइके

"उर्वरा सर्वतो भूमिः मध्यतो नर्मदा नदी।

विज्ञा दुर्गावती राज्ञी गढ़ा राज्ये त्रयो गुणाः"

गोंडवाना साम्राज्ञी रानी दुर्गावती के द्वारा 1548 से 1564 के मध्य लगभग 16 वर्ष के शासनकाल में उनके द्वारा चलाई गई धार्मिक नीतियों एवं न्याय प्रशासन व्यवस्था पर प्रकाश डालने हेतु यह लेख प्रस्तुत किया जा रहा है।

बाल्यकाल एवं विवाह–सर्वप्रथम रानी दुर्गावती की धार्मिक नीतियों पर चर्चा करें तो रानी दुर्गावती का अवतरण कालिंजर के राजा कीर्ति देव के यहाँ हुआ था तथा रानी के जन्म से पूर्व ही ज्योतिषाचार्यों ने इस बात की जानकारी राजा कीर्ति देव को दी थी कि आपके यहाँ उत्पन्न होने वाली संतान सर्वगुणों से संपन्न एवं धर्मपरायण होगी तथा उस पर माँ दुर्गा की सदैव कृपा बनी रहेगी तथा उक्त भविष्यवाणी सत्य भी हुई और शरद ऋतु की नवरात्रि की अष्टमी को दोपहर पूर्व रानी दुर्गावती का जन्म हुआ। रानी दुर्गावती की बाल्यकाल में शिक्षा-दीक्षा के दौरान उन पर शैशव काल से ही धर्मगुरुओं का प्रभाव रहा है तथा वे बाल्यकाल में ही माता काली की तरह तलवार लेकर नृत्य करती थीं। जिस समय रानी दुर्गावती का जन्म हुआ था उस काल में मुग़लों का बोलवाला था तथा यही वह काल था, जबकि देश में रहने वाले हिंदुओं को भी तीर्थयात्रा के लिए जजिया कर देना होता था। सनातन धर्म और संस्कृति का लगभग पतन-सा हो गया था तथा चारों ओर हिंदू राजपूत राजा भी मुगलों की अधीनता को स्वीकार कर रहे थे तथा मुगलों का अत्याचार चरम पर था। लगभग 16 वर्ष की आयु में रानी दुर्गावती अपने पिता के साथ कालिंजर राज्य में स्थित मनियागढ़ मंदिर देवी के दर्शन हेतु गई हुई थीं तथा उसी मंदिर में आस्था रखने वाले गोंडवाना राज्य के राजा संग्राम सिंह के पुत्र गोंड राजा दलपतशाह भी उसी मंदिर में दर्शन हेतु गए हुए थे, जहाँ पर रानी दुर्गावती एवं राजा दलपतशाह ने एक-दूसरे को देखते ही आपस में विवाह करना निश्चित कर लिया था तथा रानी दुर्गावती ने राजा दलपतशाह के लिए भगवान शंकर से यह प्रार्थना की कि उन्हें वर के रूप में राजा दलपतशाह जैसा वर प्राप्त हो। चंदेल राजा रानी दुर्गावती के पिता कीर्ति देव की सहमति पर दमोह के निकट सिंगौरगढ़ में रानी दुर्गावती एवं राजा दलपतशाह का विवाह वैदिक रीति-रिवाज से संपन्न हुआ।

रानी दुर्गावती का राजधानी गढ़ा में आगमन—रानी दुर्गावती ने गोंडवाना राज्य की राजधानी गढ़ा पहुँचने के पश्चात् राजा दलपतशाह के महल में स्थित कुल-देवी के मंदिर में जाकर आशीर्वाद प्राप्त किया तथा गढ़ा के आसपास माँ नर्मदा के दर्शन किए एवं नर्मदा तट पर स्थित सभी तीर्थ-स्थलों के दर्शन किए एवं उन्होंने उसी समय महाराज दलपतशाह से यह प्रार्थना की कि गढ़ा राज्य में अव्यवस्थित नर्मदा नदी के दोनों ओर तीर्थ यात्रियों की सुविधा हेतु घाट एवं मंदिर का निर्माण करवाया जाए एवं तीर्थ यात्रियों एवं साधु-संतों के रुकने के लिये व्यवस्था करवाई जाए, जिस पर दलपतशाह अत्यंत प्रसन्न हुए।

पति की मृत्यु के पश्चात् राज्य की बागडोर—कालांतर में विवाह के चार वर्ष पश्चात् ही महाराज दलपतशाह की मृत्यु हो गई तथा रानी ने अपने एकमात्र पुत्र वीरनारायण को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर गोंडवाना राज्य की सत्ता अपने हाथ में ले ली तथा स्वयं का दुःख भूलकर धर्मपरायण रानी प्रजा-हित के कार्यों में व्यस्त हो गई। रानी ने सत्ता सँभालते ही अपनी बाल सखी रामचेरी के नेतृत्व में एक दुर्गा सेना का गठन किया एवं राज्य के रामनगर, नयनपुर, कंजरिया, कांजीवाड़ा, लांजी, धूमा, कतंक, बैहर, डिंडौरी, कोतमा, गाडरवारा, वनखेडी, सोहागपुर, मैहर गैरतगंज, भेलसा, गंजबसीदा, रायसेन, सिरींज, भोजपाल, मंडवारा, गढ़ाकोटा, सिहोरा, पनागर आदि क्षेत्रों में न सिर्फ मंदिर बनवाए अपितु नहर, तालाब, कुएँ तथा बावड़ी की स्थापना की। गढ़ा के आसपास ही रानी ने आधार सिंह, रामचेरी एवं स्वयं के नाम से अाधारताल, चेरीताल तथा रानीताल तालाबों का निर्माण कार्य करवाया एवं ऐसे असंख्य ताल-तलैयों का निर्माण करवाया। हमारे वर्तमान के शहर जबलपुर के संबंध में भी यह जनउक्ति है कि रानी ने गढ़ा के आसपास लगभग 52 तालाब प्रजा के कल्याण के लिए निर्मित करवाए थे।

स्वामी विट्ठलनाथ का आगमन—एक समय की बात है चतुर्मास के समय अनेक साधु-संतों की टोली के साथ स्वामी विट्ठलनाथ नर्मदा के तट पर रुके हुए थे तथा प्रातःकाल जब स्वामी विट्ठलनाथ जी ने भगवान बालाजी के भोग हेतु अग्नि लाने गाँव पर भेजा तो गाँव के किसी भी व्यक्ति ने वैष्णव होने के कारण उन्हें अग्नि नहीं दी, जिससे नाराज होकर विट्ठल जी ने यह श्राप दिया था कि गाँव की सभी अग्नि बुझ जाए। इस घटना का पता लगते ही रानी दुर्गावती स्वयं स्वामी विट्ठलनाथ जी के दर्शन हेतु उपस्थित हुईं एवं क्षमा याचना की। विट्ठल जी बड़े सरल हृदय के संत थे तथा उन्होंने तत्काल अपना श्राप वापस ले लिया तथा रानी द्वारा जब उन्हें 151 गाँव देने की घोषणा की गई तब भी उन्होंने उन गाँवों को स्वीकार नहीं किया तथा विट्ठल जी की भक्ति-भाव से प्रभावित होकर रानी ने उनसे गुरुमंत्र प्राप्त किया। जबकि रानी दुर्गावती के पति एवं उनके ससुर भैरव मत के पूजक थे।

गोंडवानाकालीन राजाओं द्वारा विद्वानों को पराश्रय, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण के कार्य—इतिहास के अनेक शिलालेखों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में ब्राणों को ज्योतिषी और पुरोहित को उच्च पदों पर रखा जाता था तथा उनकी हैसियत के अनुसार दान-दक्षिणा दी जाती थी एवं राज्य द्वारा पौराणिक वैदिक कर्मकांडों का पालन भी किया जाता था। गढ़ा शासकों द्वारा जारी की गई सनदों में भी भगवान श्रीराम एवं भद्रकाली के प्रति श्रद्धा व्यक्त की गई है। रानी दुर्गावती के पूर्ववर्ती शासक राजा हृदयशाह की पत्नी ने मंडला के निकट रामनगर में राज राजेश्वर मंदिर बनवाया

था जिनमें गणेश, शंभू, दुर्गा और सूर्य की मूर्ति स्थापित की गई थी। साथ ही गोंडवाना वंश के राजा निजाम शाह ने भी साहित्य को अच्छा प्रोत्साहन दिया था उनके समय हिंदू काव्य-रचना को पर्याप्त बल मिला। उनके समकालीन कवि लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित ने गजेंद्र मोक्ष नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी, जो निजाम शाह को 1759 में समर्पित किया गया था तथा निजाम शाह के ही समकालीन कवि वीर बाजपेई ने सुदामा चरित नामक ग्रंथ काव्य एवं प्रेम दीपिका नामक ग्रंथ की रचना की थी। ऐसी जनश्रुति है कि गोंड राजा निजाम शाह भी कविता की रचना करते थे। गोंड शासकों ने मिथिला से अनेक विद्वानों को बुलवाया था तथा अनेक मैथिल विद्वान गोंड राजाओं के दरबार में थे। काव्य ग्रंथ रस रत्नमाला, जिसकी विषय साम्रगी (राजनीतिक एवं साहित्यिक है) की रचना स्वयं गोंड शासक संग्रामशाह ने की थी। उक्त ग्रंथ में संग्रामशाह ने नीरसो भावों, निष्ठावान स्त्रियों का वर्णन किया है। वास्तव में रस रत्नमाला राजाओं के उपयोग का एक लघु विश्व कोष है। रानी दुर्गावती के समय दो मैथिल बंधु महेश ठाकुर एवं दामोदर ठाकुर ने संस्कृत के विभिन्न ग्रंथों की रचना की थी जिसमें नव्य न्याय, आलोक दर्पण तिथि तथ्य चिंतामणी सिद्धांत सुधा में समकालीन सामाजिक, धार्मिक एवं खगोलशास्त्री घटना का वर्णन मिलता है। दामोदर ठाकुर ने संग्रामशाह, विवेक, दीपिका, दिव्य निर्माण की भी रचना की थी जिसकी पांडुलिपि आज एशियाटिक सोसायटी, कलकत्ता में रखी है। राजा दलपतशाह के दरबारी कवि मीमांसा एवं धर्मशास्त्र के अच्छे ज्ञाता थे। उन्हीं की अन्य रचनाएं रामकृष्णावतारनष्टम, न्याय चंद्रिका और अंत्येष्टि पद्धति नामक ग्रंथ गढ़ा में लिखे गए। इन दोनों ग्रंथों की पांडुलिपियाँ नागपुर विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में हैं। रानी दुर्गावती के दरबार के एक अन्य विद्वान पद्मनाथ भट्टाचार्य जिन्होंने दुर्गावती प्रकाश व समय अवलोक नामक ग्रंथ की रचना की। विट्ठल दीक्षित एवं केशव दीक्षित राजा दलपतशाह के समय विद्यमान थे जो संस्कृत के कवि थे। राजा हृदयशाह के शासनकाल में भट्टो जी दीक्षित ने अनेक ग्रंथों की रचना की जिनमें शब्द कोस्तुभ, वैयाकरण कारिका, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी तथा प्रोढ़ मनोरमा जैसी 32 पुस्तक लिखीं। रामनगर शिलालेख के रचियता संस्कृत के श्रेष्ठ कवि थे तथा स्वयं राजा हृदय शाह ने संगीत पर हृदय कोस्तुभ और हृदय प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। रस मंजरी, गजेंद्र मोक्ष, जिसमें 407 श्लोक हैं, इस काव्य में ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करते हुए प्रेम शाह के पश्चात् आठ गोंड राजाओं का वर्णन किया गया है।

अकबर का हमला–रानी दुर्गावती द्वारा अपने राज-काज में प्रजा हितैषी कार्य करने एवं उनकी धार्मिक नीतियों से द्वेष रखने वाले मालवा के शासक बाज़ बहादुर ने तीन बार गढ़ाकोटा पर असफल हमला किया किंतु हर बार रानी की सूझ-बूझ और दक्षता से उसे मुँह की खानी पड़ी। जब रानी के राज-काज एवं उनकी कीर्ति की ख़बर मुग़ल शासक अकबर तक पहुँची तो उसने सूबेदार आसफ खाँ को रानी के पास एक सोने का पिंजरा लेकर भेजा, जिसका यह अर्थ भली-भाँति था कि अकबर रानी दुर्गावती को अपने हरम में बैठाना चाहता था तथा गोंडवाना राज्य को अपने अधीन करना चाहता था। रानी दुर्गावती ने अकबर को जवाब में सोने का चरखा और रूई भेजी, जिसका सीधा-सा अर्थ था कि अकबर जो कि बहना समुदाय (सूत कातने वाले) का था, को एक करारा जवाब मिला तथा रानी दुर्गावती क्रोध में रणचंडी बन गईं। अकबर के आदेश पर आसफ खाँ, कड़ा से सेना लेकर दमोह पहुँच गया। रानी की सेना कम होने के बाद भी रानी ने रणचंडी

की तरह अकबर की सेना से युद्ध किया तथा 24 जून 1564 को वीरगति को प्राप्त हुई तथा धर्म-परायण रानी ने युद्ध में स्वयं को पराजित होता देखकर अपने मृत शरीर को भी मलिच्छों को छूने नहीं दिया तथा स्वयं को तीर से प्रहार कर वीरगति को प्राप्त हुईं। रानी के जन्म से लेकर मृत्यु तक एवं संपूर्ण राज-काज के दौरान रानी की धर्म परायणता एवं देवी दुर्गा की उपासक होने के कारण उन्हें देवी दुर्गा की परछाईं कहना कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।

न्यायिक प्रशासकीय व्यवस्था–रानी दुर्गावती को गढ़ा का जो गोंडवाना साम्राज्य प्राप्त हुआ था उसके भौगोलिक क्षेत्रों पर दृष्टि डालें तो गोंडवाना राज्य मालवा का पठारी क्षेत्र है। विंध्य का पठारी क्षेत्र, नर्मदा-सोन घाटी, संपूर्ण सतपुड़ा, मैकाल, बघेलखंड का पठार तथा नागपुर का मैदान एवं छत्तीसगढ़ का क्षेत्र शामिल है। गोंडवाना राज्य के विभिन्न समय में दो राजधानियाँ गढ़ा और चौरागढ़ रही हैं। अबुल फ़ज़ल द्वारा लिखित आइन-ए-अकबरी में भी इस बात का उल्लेख मिलता है कि गोंडवाना क्षेत्र में गोंडों का निवास था तथा बहुतायत से हाथी पाए जाते थे। गोंडवाना राज्य में 52 गढ़ थे। इन गढ़ों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं–गढ़ा, सिंगौरगढ़, पुरवई, राहतगढ़, जिन्नौरगढ़, भोपाल, मकरई, माधवगढ़ (मंडला), अमोदा (जबलपुर), पाटनगढ़ (जबलपुर), चैरई, बरगी, घंसौर, करवागढ़, सिवनी, लापागढ़, बिलासपुर, रायगढ़, टीपागढ़, बालाघाट, कन्नौज (जबलपुर), पचलगढ़ (जबलपुर), बाघमार, डोगरताल (नागरपुर) जहाजगढ़ (जबलपुर) संतोगढ़, दीयागढ़ (जबलपुर), बटकागढ़, अमरगढ़ (डिंडौरी), देवगढ़ (डिंडौरी), नीमुआगढ़ (नरसिंहपुर), भंवरगढ़ (नरसिंहपुर), पवई, शाहनगर, धमौनी, हटा, मड़ियादो, गढ़ाकोटा, शाहगढ़, गढ़ाफाटक (सागर), दमोह, रहली, ईटावा (सागर) खिमलासा, बड़ी, चैकीगंज (होशंगाबाद), करूबगे (रायसेन), रायसेन भॉवरसो, बैरागढ़ (भोपाल), पूनागढ़ (नरसिंहपुर), देवरी, गौरझामर, प्रतापगढ़ (बिलासपुर), फतेहपुर (होशंगाबाद)। गढ़ एक प्रादेशिक इकाई थी जिसे आज की तहसील के समकक्ष माना जा सकता है। गाेंड परिवार जिस गढ़ क्षेत्र में रहते थे उस गढ़ को वह अपने परिवार का नाम दे देते थे।

गढ़ा राज्य की समाप्ति के 16 वर्ष पश्चात् एक अँग्रेज़ यात्री जे.टी. ब्लन्ट गढ़ा और जबलपुर से निकला तो उसने गढ़ा प्रदेश की समृद्धि की तारीफ करते हुए लिखा कि इस प्रदेश की समृद्धि का परिचय इसकी राजधानी से मिलता है। नर्मदा में जल मार्ग की सुविधा न होने पर भी गोंड राज्य के अंतर्गत अंसख्य लोग इलाके में खेती कर रहे हैं। आज भी उनके साफ-सुथरे मकान, भव्य मंदिर-जलाशय एवं सार्वजनिक निर्माण कस्बों के आकार एवं उनकी रोपिड़यों की मौजूदगी का श्रेय गोंड राज्य को जाता है।

जी.एस.टी. प्रणाली–इस समय जब पूरे देश में जी.एस.टी. का शोर है कोई इसके पक्ष में तो कोई इसके विपक्ष में राग अलाप रहा है तो आपको यहाँ यह बता दें कि जी.एस.टी. कोई नई प्रणाली नहीं है इसका श्रेय रानी दुर्गावती की प्रशासन व्यवस्था को जाता है। दस्तावेजों से इस बात के प्रमाण मिले हैं कि रानी दुर्गावती के शासनकाल में 456 साल पहले जी.एस.टी. की शुरुआत हो चुकी थी, यह सब उन्होंने समान कर प्रणाली लागू करने के लिए किया था। इस कर के चलते लोग सोने के सिक्के, हाथी तक करों में दिया करते थे। इतिहासविद् डॉ. आनंद सिंह राणा के अनुसार, विद्वान महेश ठाकुर और आधार सिंह की सलाह पर रानी दुर्गावती ने कर प्रणाली के अंतर्गत भाग औसत उपज/3 जो व्यवस्था गोंडवाना राज्य के पूरे 52

गढ़ों के अस्सी राज्यों में थी। इस प्रणाली से पूरे राज्य में समान कर प्रणाली लागू हो गई थी जिससे स्थानीय राजा और जमींदार जनता से मनमाना कर वसूल नहीं कर पाते थे एवं प्रजा रानी की कर प्रणाली से खुश थी।

अबुल फज़ल ने अपनी रचना आइन-ए-अकबरी में गोंडवाना राज्य के संबंध में यह उल्लेखित किया है कि यहाँ के किसान मोहर और हाथी के रूप में अपना कर चुकाते थे तथा यहाँ इतना अनाज होता था कि उसे गुजरात और दक्कन को भेजा जाता था। इस बात का भी विवरण मिलता है कि जब आसफ़ खाँ ने चौरागढ़ पर अधिकार किया था तो उसे अलाउद्दीन के समय की अशर्फी से भरे सौ डगे प्राप्त हुए थे। जिससे यह स्पष्ट है कि राज्य की उक्त समृद्धि अच्छे और कुशल प्रशासन का ही परिणाम था।

यह दुर्भाग्य की बात है कि गढ़ा राज्य के प्रशासन का पर्याप्त विवरण अनुपलब्ध है, फिर भी अबुल फज़ल के उल्लेख को एवं गढ़ा राज्य के स्थानीय विवरण एवं 1818 के बाद के अँग्रेज़ प्रशासन एवं बंदोबस्त अधिकारियों के विश्लेषण से गढ़ा राज्य के प्रशासन के संबंध में एक रूप रेखा बनाई जा सकती है। गोंड शासकों के समय केंद्रीय प्रशासन का ढाँचा राजपूती ढाँचे के सामान है। फौज़दार का पद प्रमुख था। अबुल फज़ल के विवरण में रानी दुर्गावती के फौज़दार अर्जुन दास वैश्य का विवरण है। प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर दीवान होता था। राज्य ज्योतिषी के पद का भी उल्लेख है तथा पुरोहित का भी एक महत्वपूर्ण पद होता था। रानी दुर्गावती के समकालीन राज पुरोहित के पद पर महेश ठाकुर थे। राज्य महल में एक भंडारीक का पद भी होता था, जिस पर विश्वंभर ओझा के नाम का उल्लेख मिलता है तथा गोंडवाना काल में पीतांबर ओझा नामक व्यवस्थापक और न्यायशास्त्री का भी उल्लेख मिलता है। सी.यू. विल्स ने अपने विश्लेषण में बताया है कि प्रदेश स्थानीय राजाओं सरदारों के बीच बँटा हुआ था या अपने क्षेत्र में प्रशासनिक और न्यायिक कार्य करने की शक्तियाँ प्राप्त थीं तथा इसके बावजूद भी सामान्य मामलों में प्रशासकीय और न्यायिक कार्य करने की शक्तियाँ गोंडवाना राज्य के राजा को थी। गढ़ा राज्य में 29 परगनों की सूची भी प्राप्त होती है। विल्स के विश्लेषण के अनुसार गढ़ा राज्य कई उप-रियासत एवं जागीर में विभाजित था, जो गढ़ा के राजाओं के अधीन था। अधीनस्थ राजाओं के जरिये प्रशासन करने की यह प्रणाली गोंड राजाओं के अंत तक चलती रही।

स्थानीय प्रशासन–गढ़ा के गोंड राजा के अधीनस्थ स्थानीय राजा एवं सरदारों के जरिये प्रशासन करने की यह प्रणाली इस प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के कारण थी। संक्षिप्त में कहें तो गोंडवाना राज्य की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संपूर्ण राज्य परगनों एवं उप-रियासतों में बँटा हुआ था, जिनमें प्रशासक के रूप में स्थानीय जागीरदार प्रशासन करते थे, जिन्हें राजा के रूप में भी संबोधित किया जाता था तथा यह सभी गढ़ा राजा के अधीनस्थ होते थे तथा उन्हें प्रतिवर्ष वस्तुओं के रूप में राजस्व देते एवं एक निश्चित संख्या में सैनिकों के साथ राजा के सामने हाजिरी देने के लिए बाध्य थे।

रानी दुर्गावती का न्याय–किंवदंती है कि रानी दुर्गावती वेश बदलकर अपने राज्य में प्रजा की स्थिति को देखने के लिए समय-समय पर घूमा करती थीं। एक समय की बात है, रानी दुर्गावती वटकागढ़ क्षेत्र

(वर्तमान में वटकाहरई क्षेत्र) में वेश बदलकर जनता का हाल-चाल जानने के लिये पहुँचीं तब वहाँ पर दो महिलाएँ पेड़ के नीचे बैठकर महुआ बीनने का कार्य कर रही थीं। तब रानी दुर्गावती उनके पास पहुँचीं तथा उनके साथ स्थानीय भाषा में बातचीत करने लगीं। तब उन दोनों महिलाओं ने रानी दुर्गावती को अपने साथ लाया गया कलेवा करने के लिये कहा तब रानी दुर्गावती ने उनके साथ बैठकर कलेवा किया जिसमें से एक महिला द्वारा पाँच रोटी तथा दूसरी महिला द्वारा तीन रोटी कलेवा में लाई गई थी जिसे तीनों ने मिलकर बराबर-बराबर बाँटकर खा लिया। जब रानी दुर्गावती जाने लगीं तो महिलाओं ने उनसे पूछा कि आप इस क्षेत्र की रहने वाली नहीं हैं तब आप कौन हैं। उनकी इस बात पर रानी दुर्गावती ने अपना असली वेश उनके सामने प्रकट किया तो दोनों महिलाएँ अत्यंत प्रसन्न हुई एवं उन्होंने रानी दुर्गावती को प्रणाम किया। रानी दुर्गावती ने प्रसन्न होकर दोनों महिलाओं को आठ सोने की स्वर्ण मुद्राएँ दीं एवं कहा कि इसे आप दोनों स्थानीय जागीरदार के पास जाकर बाँट लेना। दोनों महिलाएँ रानी दुर्गावती को प्रणाम करके स्थानीय जागीरदार के पास गईं तथा जागीरदार से स्वर्ण मुद्राएँ बांटने के लिये कहा तो जागीरदार ने कहा कि दोनों आधी-आधी स्वर्ण मुद्राएँ बाँट लो। इस पर जिस महिला के पास पाँच रोटी थीं वह तैयार नहीं हुई तथा जागीरदार के फैसले से असहमत हो गई। बाद में उनका मामला पंचों के बीच में रखा गया, पंचों ने अपना फैसला दिया कि पाँच स्वर्ण मुद्राएँ एक महिला को दी जाएँगी तथा तीन स्वर्ण मुद्राएँ दूसरी महिला को दी जाएँ। इस पर भी तीन स्वर्ण मुद्राएँ प्राप्त करने वाली महिला असहमत हो गई। इस तरह से यह विवाद गढ़ामंडला की रानी दुर्गावती के समक्ष लाया गया तथा स्थानीय जागीरदार एवं दोनों महिलाएँ भी रानी दुर्गावती के दरबार तक पहुँच गई। सारा विवाद रानी दुर्गावती के समक्ष रखा गया। रानी दुर्गावती स्थानीय जागीरदारों की न्यायक्षमता भी परखना चाहती थीं। उन्होंने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि जिस महिला के द्वारा तीन रोटी कलेवा में लाई गई थीं उसे एक स्वर्ण मुद्रा तथा जिस महिला द्वारा पाँच रोटी कलेवा में लायी गई थीं, उसे सात स्वर्ण मुद्राएँ दी जानी चाहिए। रानी दुर्गावती के इस फैसले से दरबार में उपस्थित सभी जागीरदार, जमींदार, स्थानीय राजा हतप्रभ रह गए तथा उन्हें रानी दुर्गावती का फैसला समझ ही नहीं आ रहा था। तब स्थानीय जागीरदार द्वारा विनम्रतापूर्वक रानी दुर्गावती से निवेदन किया गया कि कृपया वे अपने फैसले का आधार बताने का कष्ट करें तब रानी दुर्गावती ने मुस्कराते हुये बताया कि दोनों महिलाओं द्वारा लाई कलेवा की पाँच रोटी एवं तीन रोटी कुल आठ रोटी को हम तीनों लोगों ने मिलकर बराबर-बराबर बाँटकर खाया था, इस प्रकार कुल आठ रोटी के तीन टुकड़े किए जाए तो कुल 24 टुकड़े होते हैं जो प्रत्येक को आठ-आठ टुकड़े रोटी हिस्से में आए थे। जिस महिला के पास तीन रोटी थीं उसके पास कुल नौ टुकड़े थे, जिसमें से उसके द्वारा स्वयं आठ टुकड़े खा लिये गए एवं केवल एक टुकड़ा रानी दुर्गावती को दिया गया जबकि जिस महिला के पास पाँच रोटी थीं उसके द्वारा पाँच रोटी के पंद्रह टुकड़ों में से आठ टुकड़े स्वयं खाए गए तथा सात टुकड़े रानी दुर्गावती को दिए गए थे, इस प्रकार सात स्वर्ण मुद्राएँ पहली महिला के हिस्से में आएँगी और एक स्वर्ण मुद्रा दूसरी महिला के हिस्से में आएँगी। रानी दुर्गावती द्वारा सुनाए गए इस फैसले से सभी ने रानी दुर्गावती के अंकगणितीय ज्ञान का लोहा मान लिया एवं वे जान गए कि रानी दुर्गावती का न्याय अतर्कपूर्ण पक्षपात से रहित है। किंवदंतियों

के अनुसार ऐसी अनेक जनस्तुतियाँ हैं जिनके आधार पर यह कहा जाता था कि रानी दुर्गावती का न्याय प्रशासन श्रेष्ठ न्याय प्रशासनों में से एक था।

रानी दुर्गावती का सैन्य प्रशासन–जहाँ तक रानी दुर्गावती के शासनकाल में सेना का प्रश्न है उस काल में सेना के तीन प्रमुख अंग थे। हाथी सेना, घुड़सवार सेना और पैदल सेना, जिसमें पैदल सेना की संख्या बहुत अधिक थी। अबुल फ़ज़ल ने आइन-ए-अकबरी में इस बात का उल्लेख किया है कि गढ़ा राज्य के राजाओं के पास 5,500 घुड़सवार 2,54,000 पैदल सैनिक थे। गढ़ा राज्य की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि उनके पास तोपखाना नहीं था जो मुगलों के विरुद्ध रानी की पराजय का मुख्य कारण था। रानी दुर्गावती ने प्रत्येक गाँव में प्रशासकीय कार्य हेतु एक कर्मचारी की नियुक्ति की जो प्रथम बार हुई थी, इसके पूर्व गोंडवाना राज्य में इस प्रकार से नियुक्ति नहीं हुई थी, जिसे शिकदार कहा जाता था। रानी दुर्गावती की मृत्यु के पश्चात् यह पद समाप्त हो गया था।

सन्दर्भ ग्रंथ

- गढ़ा के गोंड राज्य, डॉ. सुरेश मिश्र, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2008
- रानी दुर्गावती, डॉ. सुरेश मिश्र, मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, 2012
- वीरांगना रानी दुर्गावती, डॉ. दिनेश मिश्र, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018